न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर

पीठासीन अधिकारीः– एन.एम. पहाडिया, आई.ए.एस., जिला कलक्टर, धौलपुर

विविध प्रार्थना पत्र नम्बर(मुकदमा नम्बर):– 63/2018 (RCMS No. 2018/00079)

उनवानः–

1. सचिव, सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड, धौलपुर ——————————प्रार्थी

बनाम

1. केशव पुत्र हीरानन्द जाति गूजर निवासी आम का पुरा तहसील जिला धौलपुर—–अप्रार्थी

न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर (राज.)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 99 व 103 राज0 सह0सोसायटी अधिनियम 2001 के तहत ऋणी सदस्य की बैंक में रहन सम्पत्ति को बैंक के पक्ष में अन्तरित करने बाबत।

उपस्थितिः–

प्रार्थी की ओर सेः– श्री फरमान वेग, प्रतिनिधि बैंक

निर्णय दिनांकः– 14.08.2018

निर्णय

प्रार्थी बैंक द्वारा एक प्रार्थना पत्र राजस्थान सह. सोसायटी अधिनियम 2001 की धारा 103 के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया कि अप्रार्थी द्वारा बैंक से लिए गए ऋण की समय पर अदायगी नही करने के कारण अप्रार्थी के विरूद्ध वर्तमान में 472669/– रूपये की राशि बकाया निकल रही है। इस बकाया अवधिपार राशि की वसूली हेतु प्रार्थी द्वारा राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 की धारा 99 के तहत नोटिस जारी कर अधिनियम की धारा 100 के तहत आदेश जारी कर ऋण की सुरक्षा स्वरूप बैंक के पक्ष में रहन की गई कृषि भूमि की समय–समय पर 3–4 बार नीलामी कार्यवाही की गई किन्तु नीलामी कार्यवाही के दौरान किसी भी क्रेता द्वारा बोली नही लगाये जाने के कारण रहन शुदा कृषि आराजी की नीलामी नही हो पाई जिसके कारण बैंक की बकाया ऋण राशि की वसूली संभव नही हो पा रही है। राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 की धारा 103 के अन्तर्गत जो सम्पत्ति क्रेताओ के अभाव में नही बेची जा सके उस सम्पत्ति को सम्बन्धित संस्था की सहमति पर सम्बन्धित संस्था को अन्तरण करने के अधिकार जिला कलक्टर को उक्त अधिनियम के तहत प्रदत्त किये गये है। बैंक के प्रशासक द्वारा पारित किये गये प्रस्ताव संख्या 01 दिनांक 15.06.2017 द्वारा यह निर्णय लिया गया कि प्रार्थी अप्रार्थी की रहन शुदा कृषि भूमि जो क्रेताओ के अभाव में नही बेची जा सकी है, को राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 की धारा 103 व 99 के अनुसार अपने नाम अन्तरण कराने हेतु सहमत है। अतः बैंक हितो को ध्यान में रखते हुए प्रशासक द्वारा पारित

(नन्नूमल पहाड़िया)
जिला कलक्टर
धौलपुर

किये गये प्रस्ताव एंव अधिनियम की धारा 103 व नियम 99/100 के प्रावधानो के अन्तर्गत आदतन ऋण अदा नही करने वाले अप्रार्थी की बैंक में रहन शुदा कृषि आराजी जो नीलामी कार्यवाही में क्रेताओ के अभाव में नही बेची जा सकी, को प्रार्थी बैंक के नाम अन्तरण (Transfer) किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को बकाया ऋण राशि जमा कराने हेतु नोटिस इस आशय का जारी किया गया कि यदि अप्रार्थी को कोई आपत्ति हो तो वह असालतन/वकालतन न्यायालय में उपस्थित होकर पेश करें।

अप्रार्थी को जारी नोटिस की तामील विधिवत् रूप से कराई गई। अप्रार्थी बावजूद नोटिस तामील के असालतन/वकालतन न्यायालय में उपस्थित नही हुआ। अतः अप्रार्थी के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही किये जाने के आदेश दिये गये।

प्रार्थी बैंक ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में कार्यालय टिप्पणी, नोटिस दिनांक 30.01.13, डिक्री आदेश 04.10.13 निष्पादन आदेश दिनांक 25.01.14 मॉग नोटिस दिनांक 17.02.14, 30.012.15, 01.03.17 विक्रय की घोषणा 01.02.16, 29.02.16, 30.12.16, 09.05. 17, कृषि भूमि नीलामी की सूचना दिनांक 30.06.16, रहननामा दिनांक 26.08.2005 जमाबन्दी सम्बत् 2072 से 2075 ग्राम मिठावली पेश की।

प्रार्थी बैंक के प्रतिनिधि की बहस सुनी गई। बैंक के प्रतिनिधि ने अपनी बहस के दौरान कथन किया कि अप्रार्थी द्वारा बैंक से लिए गए ऋण की समय पर अदायगी नही करने के कारण अप्रार्थी के विरूद्ध वर्तमान में 472669/— रूपये (जिसमें से अवधि पार असल 236152/— रूपये, ब्याज 164411/—रूपये, द0 ब्याज 41802/— रूपये वसूली व्यय 30304/— रूपये) की राशि बकाया निकल रही है। इस बकाया राशि की वसूली हेतु अप्रार्थी को राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 के नियम 99 के तहत नोटिस जारी कर अधिनियम की धारा 100 के तहत आदेश जारी कर ऋण की सुरक्षा स्वरूप बैंक के पक्ष में रहन की गई कृषि भूमि की समय—समय पर 3—4 बार नीलामी कार्यवाही की गई किन्तु नीलामी कार्यवाही के दौरान किसी भी क्रेता द्वारा बोली नही लगाने के कारण रहन शुदा कृषि आराजी की नीलामी नही हो पाई जिसके कारण बैंक की बकाया ऋण राशि की वसूली संभव नही हो पाई। बैंक के प्रशासक द्वारा पारित किये गये प्रस्ताव संख्या 01 दिनांक 15.06.2017 द्वारा यह निर्णय लिया गया कि अप्रार्थी की रहन शुदा कृषि भूमि जो क्रेताओ के अभाव में नही बेची जा सकी है, को राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 की धारा 103 व नियम 99 के अनुसार प्रार्थी अपने नाम अन्तरण कराने हेतु सहमत है। अतः बैंक हितो को ध्यान में रखते हुए प्रशासक द्वारा पारित किये गये प्रस्ताव एंव अधिनियम की धारा 103 व नियम 99/100 के प्रावधानो के अन्तर्गत अप्रार्थी की बैंक में रहन शुदा कृषि आराजी खसरा नम्बर 1120 रकबा 13 बिस्वा, 1180 रकबा 19 बिस्वा, 1182 रकबा 1 बीघा 05 बिस्वा, 1185 रकबा 06 बिस्वा, 1186 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा, 1195 रकबा 17 बिस्वा, 1197 रकबा 16 बिस्वा, 1208 रकबा 7 बिस्वा, 1209 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा, 1220 रकबा 6 बिस्वा 1221 रकबा 12 बिस्वा, 1222 रकबा 15 बिस्वा,

(नन्नूमल पहाडिया)
जिला कलक्टर
धौलपुर

1552 रकवा 3 बीघा, 1881/1223 रकवा 18 विस्वा, 1882/1223 रकवा 1 विस्वा कुल किता 15 रकवा 13 बीघा 7 विस्वा सम्पूर्ण भाग बांके ग्राम मिठावली तहसील राजाखेडा जो नीलामी कार्यवाही में क्रेताओ के अभाव में नही बेची जा सकी, को प्रार्थी बैंक के नाम अन्तरण (Transfer) किया जावे।

प्रार्थी सचिव भूमि विकास बैंक लिमिटेड धौलपुर के प्रतिनिधि की बहस सुनने एंव पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन कर मनन करने के पश्चात् हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते है कि अप्रार्थी द्वारा बैंक ऋण की बकाया राशि 472669/– रूपये जमा नही कराई है। तथा अप्रार्थी की बैंक में रहन शुदा सम्पत्ति खसरा नम्बर 1120 रकवा 13 विस्वा, 1180 रकवा 19 विस्वा, 1182 रकवा 1 बीघा 05 विस्वा, 1185 रकवा 06 विस्वा, 1186 रकवा 1 बीघा 3 विस्वा, 1195 रकवा 17 विस्वा, 1197 रकवा 16 विस्वा, 1208 रकवा 7 विस्वा, 1209 रकवा 1 बीघा 9 विस्वा, 1220 रकवा 6 विस्वा 1221 रकवा 12 विस्वा, 1222 रकवा 15 विस्वा, 1552 रकवा 3 बीघा, 1881/1223 रकवा 18 विस्वा, 1882/1223 रकवा 1 विस्वा कुल किता 15 रकवा 13 बीघा 7 विस्वा सम्पूर्ण भाग बांके ग्राम मिठावली तहसील राजाखेडा को जरिये नीलामी 3–4 बार विक्रय करने हेतु कार्यवाही की गई किन्तु क्रेताओ के अभाव में उक्त सम्पत्ति नही बेची जा सकी है। न्यायालय द्वारा अप्रार्थी को बैंक की उक्त राशि जमा कराने हेतु नोटिस जारी किया गया। नोटिस की विधिवत् तामील अप्रार्थी पर करवाई गई किन्तु बावजूद तामील नोटिस अप्रार्थी द्वारा बकाया राशि प्रार्थी बैंक में जमा नही करवाई और नाही न्यायालय में उपस्थित होकर जवाब नोटिस पेश किया।

अतः न्याय के परिप्रेक्ष्य में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उपरोक्त रहन शुदा आराजी को राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा 103 के अन्तर्गत सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड धौलपुर के पक्ष में अन्तरित (Transfer) किये जाने के आदेश दिये जाते है। सम्बन्धित तहसीलदार को निर्देश दिये जाते है कि नियमानुसार अप्रार्थी की उपरोक्त आराजी को प्रार्थी बैंक के नाम अन्तरित (Transfer) किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो। बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। प्रकरण नम्बर से कम किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 14.08.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एन.एम.पहाड़िया)
जिला कलक्टर, धौलपुर
धौलपुर